(188)

(64)

न्यायालय श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय राजस्व मंण्डल ग्वालियर

कैम्प रीवा म0प्र0

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

201 / 16.6.15

निगरानी 2193-II-15

रामजतन तनय गोबिन्द राम ब्राम्हण निवासी ग्राम चौका सोनवर्षा

तहसील मउगंज, जिला रीवाम0प्र0 ---निगरानीकर्ता

बनाम

क्रमांक 5851 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ... को प्राप्त। क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल ग्वालियर

1. रामजी तनय रामनिहोर ब्रा0
2. श्रीमती सुनीता पत्नी श्यामचरण
3. कु0पुष्पा पुत्री श्यामाचरण
4. कु0मुन्नी पुत्री स्व0श्यामाचरण
5. राजकुमार पुत्र स्व0श्यामाचरण
6. राजेश पुत्र स्व0श्यामाचरण
7. मुन्नालाल पुत्र स्व0श्यामाचरण
8. सुरेश पुत्र स्व0श्यामाचरण

श्री अनीष श्रीवास्तव एड. के द्वारा आज दिनांक 16-6-15 को प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

अना0क्र04 ता 8 अल्पवयस्क सैरक्षिका माता श्रीमती सुनीता पत्नीस्व0श्यामाचरण निवासी समस्त चौका सोनवर्षा, तहसील मउगंज जिलारीवाम0प्र0

9. सुन्दरी विधवा पत्नी रामनिहोर ब्रा0निवासी चौका सोनवर्षा तहसील मउगंज जिलारीवाम0प्र0

----अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभागरीवा के प्र0क्र0434/निगरानी/05-06 मे पारित आदेश दिनांक 30.3.2015 के विरूद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 के अधीन निगरानी

महोदय,

निगरानी के तथ्य:-

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक के द्वारा एक ००० ...

(64)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R-2193-दो/15 जिला– रीवा

रामरतन वगै. विरूद्ध रामजी व अन्य

(1)	(2)	(3)
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री अनीष श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कमिश्नर~~/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 434/निगरानी/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 30-3-15 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 16-6-15 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	

~~निगरानी के तथ्य:-~~

~~प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक के द्वारा एक~~